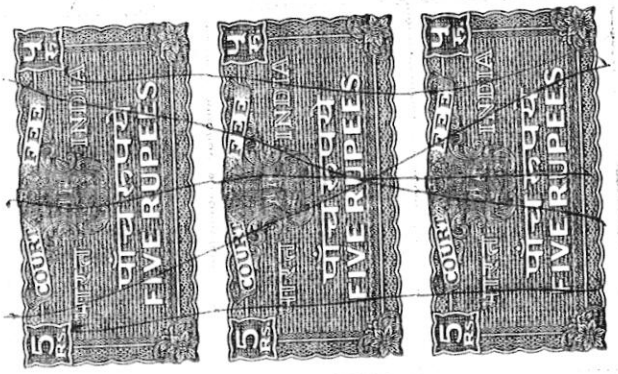

140

CF Rs 15

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R 143-III/07

प्रकरण क्रमांक   ।२००७ पुनरीक्षण.

वंसपति पुत्र श्री रामसेवक ब्राह्मण,
निवासी मिसिरपुरा, तेहसील हनुमना,
जिला रीवा (म०प्र०)   --- आवेदक.

वनाम.

श्रीपति पुत्र रामलखन ओझा,
निवासी मिसिरपुरा, तेहसील हनुमना,
जिला रीवा(म०प्र०)

-- ---- अनावेदक.

एडवोकेट द्वारा आज दि० 19-1-07 को प्रस्तुत।
रजिस्ट्रार राजस्व मं० प्र० ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक ६-१-०७ पारित द्वारा श्री व्ही०के०सिंह, न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा, प्रकरण क्रमांक २४४।निग०।०६-०७ वउनवान वंसपति वनाम श्रीपति

- -

SS Bhadoriya 18/1/07

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, आवेदक के पिता स्व० रामसेवक राम को स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम मिसिरपुरा, तेहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र० में सर्वे क्रमांक ११५ रकवा २५ डेसीमल थी जो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके तीन पुत्रों में बराबर-बराबर प्राप्त हुई । (१) वंसपति, (२) इन्द्रदेव (३) वंशमणि । प्रत्येक का हिस्सा १।३, १।३ रहा जो अपने हिस्से पर काबिज रहे ।

(ब) यहकि, उक्त विवादित भूमि जो कि आवेदक के भाई

... योग्य है ।
... न्यायालय अपर कलेक्टर, रीवा के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 143–तीन/2007 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 244/2006–07 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 9–1–2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुनने के वाद अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 244/2006–07 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 9–1–2007 का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 9–1–2007 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने दिनांक 9–1–2007 को आवेदक एंव केबिएटकर्ता अभिभाषक को ग्राहयता पर एंव स्थगन आवेदन पर सुना हैं तथा प्रकरण ग्राह्यता पर आदेश हेतु 16–1–2007 को नियत किया है । दिनांक 16–1–2007 को आदेश पारित करके निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त कर दी है, जबकि अंतरिम आदेश दिनांक 9–1–2007 के विरूद्व राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में यह निगरानी दिनांक दिनांक 19–1–2007 को प्रस्तुत की गई है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी अप्रचलनशील है। 3/ निगरानी अप्रचलनशील होने से गुणदोष पर विचार किया बिना इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	